

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

₹ 10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN
RUPEES

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

12AA 260787

I witnessed the signature of the
Deponent(s) who
has/have signed before me.

उत्तराखण्ड विधानसभा निर्वाचन में '66 रुद्रपुर निर्वाचन क्षेत्र' से
निर्वाचन हेतु रिटनिंग आफीसर के समक्ष शपथ पत्र जो प्रमाणित व
हस्ताक्षरित संलग्नक 01 पृष्ठ, (पृष्ठ 15 का 6) प्रारूप 26 के
अनुसार है।

राजकुमार टुकराल

पुत्र श्री खानचन्द टुकराल

निवासी बी-29, आदर्श कालौनी

रुद्रपुर जिला उधमसिंहनगर

I have sworn and Affirmed before me

Deponent(s) Identity by Sri. Raj Kumar Tukral

The Contents of the Affidavit at

Rudrapur on 21/11/2012

after further understand the Contents
read over to him.

प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)
निर्वाचन क्षेत्र से

66. रूपपुर
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तरांचल विधान सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने, वाला शपथ पत्र.

मैं राजकुमार कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी राजकुमार कुमार आयु 45 वर्ष
जो B. 29, आदमी काकोली रु. 012 30 से का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता/करती हूँ -

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से सजाए गए किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा निर्णय विरचित किया गया है/किए गए हैं।
(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों)का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):

- (I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं F.I.R.No-831/2004
(II) पुलिस थाना (थाने) रूपपुर जिला (जिले) उत्तरांचल राज्य उत्तरांचल
(III) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है आरोप धारा-147, 332, 353, 342, 504, 506, IPC एवं 7(क) A एवं
(IV) न्यायालय,जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की गई राज्य-अधीन दंडाधीन रूप
(V) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया थे 21/7/2011
(VI) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/है नहीं

2. गुझे किसी अपराध(अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 5 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

- (I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं नहीं
(II) न्यायालय,जिसने दंडित विरच्य है नहीं
(III) पुलिस थाना (थाने) जिला (जिले) राज्य
(IV) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है
(V) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे
(VI) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं

स्थान:- रूपपुर
तारीख:- 9/11/12

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपाई नहीं गई है।

Deponent(s) Identify by Sri./Smt./Km...
The Contents of the Affidavit at
Rudrapur

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

पृष्ठ 12 का 1